प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 11.03.24

एन्टी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स जनपद मेरठ एंव थाना मसूरी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही मे आन्ध्र प्रदेश राज्य से 03 कारो मे तस्करी कर परिवहन कर लायी गई नशीले पदार्थ (गांजा) 366 किलो 750 ग्राम की बडी खेप (कीमत करीब 01 करोड 85 लाख रु0) सहित 03 तश्कर गिरफ्तार

दिनांक 11-03-24 को मुखविर की सूचना पर एन्टी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स जनपद मेरठ एंव थाना मसूरी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही मे आन्ध्र प्रदेश राज्य से तीन अदद कार 1- एसयूवी 500 रजि0 न0 –DL8CAF7957 व 2- निशान टरैनो रजि0 नं0- DL06CM6832 तथा 3- हुण्डई वरना कार रजि0 नं0 DL7CN6411 मे परिवहन कर लायी गई अवैध नशीले पदार्थो (गांजा) की एक बडी खेप (366 कि0ग्रा0 750 ग्राम गांजा) कीमती करीब 01 करोड 85 लाख रूपये की बरामदगी थाना मसूरी क्षेत्र स्थित कस्बा डासना के मौहल्ला रफीकाबाद मे अभि0 आसिफ उर्फ गुल्लू के किराये के मकान पर छापा मारकर समय करीब 12-45 बजे 03 तश्करो (1) आसिफ उर्फ गुल्लू उम्र 27 वर्ष पुत्र अकबर नि0 पुराना बाजार मस्जिद के बराबर में डासना थाना वेबसिटी गाजियाबाद हाल नि0 किराये के मकान में रफीकाबाद वार्ड न0 12 डासना थाना मसूरी गाजियाबाद (2) सलीम उर्फ हलवाई उम्र करीब 33 वर्ष पुत्र अनवर उर्फ अनवार नि0 गली न0 5 मजीद नगर फैजान डेरी वाली गली निकट कूए वाली मस्जिद थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ मूल निवासी ग्राम खामपुर थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर (3) फरमान उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र फुरकान नि0 ग्राम घोसीपुरा निकट ईदगाह थाना लोहियानगर जनपद मेरठ की हस्ब निशादेही पर की गई है तथा अग्रिम बैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही एंव पूँछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तो ने पूछने पर बताया कि यह अवैध गांजा सलीम उर्फ हलवाई पुत्र अनवर उर्फ अनवार नि0 गली न0 5 मजीद नगर फैजान डेरी वाली गली निकट कूए वाली मस्जिद थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ मूल निवासी ग्राम खामपुर थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर व अब्दुल गनी पुत्र मोबीन नि0 वाल्मिकी नगर छोटा केला कोतवाली कमिश्नरेट गाजियाबाद तथा नसीम उर्फ चांदी पुत्र चाँद मोहम्मद नि0 फरूख नगर थाना टीला मोड कमिश्नरेट गाजियाबाद का है ,जो विजयवाडा आन्ध्र प्रदेश से पहाडी क्षेत्र से महिन्द्र एक्सयूवी 500 नम्बर डीएल 8 सीएफ 7957 से लेकर आये है और सलीम उर्फ हलवाई, अब्दुल गनी और नसीम ने इस गांजा को बराबर बराबर पैसे लगाकर खरीदा है। यह गांजा लेने सलीम उर्फ हलवाई, फरमान और अब्दुल गनी के जानकार पवन नाम के लडके के साथ एक्सयूवी में गया था। फरमान और पवन ने आने जाने में गाडी चलायी थी। हम करीब छः दिन पहले गांजा लेने के लिये गये थे। बरामद एक्सयूवी गाडी

गनी की है, जो कि उसने गांजा लाने के लिये दी थी। इसी गाडी को लेकर हम हैदराबाद पहुचे और होटल में जाकर रूके। हम गाडी लेकर विजयवाडा के पहाडी क्षेत्रों में पहुचे जहाँ से हमने एक्सयूवी की डिग्गी में गांजा भरवाया व गांजे को लिवाकर नसीम व चांदी के कहे अनुसार आसिफ उर्फ गुल्लू के किराये के मकान पर लाया गया। पवन किसी दुसरी गाडी पर ड्राइविंग करने चला गया है। अब्दुल गनी व नसीम उर्फ चांदी ये दोनों गाडिया डीएल 7 सीएन 6411 वर्ना व डीएल 6 सीएम 6832 टैरनों छोड कर गये थे जिसमे फरमान व आसिफ उर्फ गुल्लू ने गांजा के पैकेट भरवाये थे। कुछ समय पश्चात ही नसीम व गनी इस गाडियों को गांजा सप्लाई करने हेतू ले जाने वाले थे । हमारा एक संगठित गिरोह है जो अवैध नशीले पदार्थो की आन्ध्र प्रदेश से तश्करी करके गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रो मे बेंचकर अवैध धन अर्जित करते है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>

- आसिफ उर्फ गुल्लू उम्र 27 वर्ष पुत्र अकबर नि0 पुराना बाजार मस्जिद के बराबर में डासना थाना वेबसिटी गाजियाबाद हाल नि0 किराये के मकान में रफीकाबाद वार्ड न0 12 डासना थाना मसूरी गाजियाबाद
- सलीम उर्फ हलवाई उम्र करीब 33 वर्ष पुत्र अनवर उर्फ अनवार नि0 गली न0 5 मजीद नगर फैजान डेरी वाली गली निकट कूए वाली मस्जिद थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ मूल निवासी ग्राम खामपुर थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर
- फरमान उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र फुरकान नि0 ग्राम घोसीपुरा निकट ईदगाह थाना लोहियानगर जनपद मेरठ सलीम पुत्र अनवर निवासी

<u>वाँछित/फरार अभियुक्तगण</u>

(1) अब्दुल गनी पुत्र मोबीन नि0 वाल्मिकी नगर छोटा केला कोतवाली कमिश्नरेट गाजियाबाद
(2) नसीम उर्फ चांदी पुत्र चाँद मोहम्मद नि0 फरूख नगर थाना टीला मोड कमिश्नरेट गाजियाबाद
(3) पवन ड्राईवर (जानकार अब्दुल गनी)

<u>बरामदगी का विवरण</u>

(4) 366 किलो 750 ग्राम गाँजा (कीमत करीब 01 करोड 85 लाख रु0)
(5) 05 मोबाइल , 01 आधार कार्ड , 01 ड्राइविंग लाइसेन्स व-1960 रूपये नगद
(6) तीन कार- एसयूवी 500 न0 –DL8CAF7957 , निशान टैरनो DL06CM6832 व हुण्डई वर्ना DL7CN6411 कीमत करीब 30 लाख

<u>पंजीकृत अभियोग व अभियुक्त का आपराधिक इतिहास</u>

अभियुक्त सलीम उर्फ हलवाई के विरूद्ध जनपद मेरठ / गौतमबुद्धनगर के विरूद्ध पूर्व से विभिन्न थानो पर एनडीपीएस एक्ट ,चोरी, आयुध अधि0, 307 भादवि के अन्तर्गत 10 अभियोग व थाना साहिबाबाद पर 01 अभियोग एनडीपीएस

एक्ट एंव फरमान के विरूद्ध थाना टीला मोड पर 01 अभियोग नशीले पदार्थ की बरामदगी का तथा आसिफ उर्फ गुल्लू के विरूद्ध थाना मसूरी पर 04 अभियोग अवैध गाँजा/ जुआ/सटटे व 02 अभियोग थाना वेवसिटी पर नशीले पदार्थ/ शराब की बरामदगी का पूर्व से पंजीकृत है तथा उक्त बरामगी का एक अभियोग मु0अ0सं0 80/24 धारा 8/20/25/29/37/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

एन्टी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स जनपद मेरठ एंव थाना मसूरी पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद ।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से 1 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10.03.2024 को संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेंकिग के दौरान अवैध गांजे की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त सूरज पंडित पुत्र ब्रजनंदन शर्मा नि0 म0नं0 आई 38 महेन्द्रा इन्क्लेव शास्त्रीनगर थाना कविनगर ग़ाज़ियाबाद को कार्टे चौक से गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि साहब मैं इस गांजे की छोटी छोटी पुडिया बनाकर बेचता हूँ और उसी पैसे से मैं अपने शौक पूरे करता हूँ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

सूरज पंडित पुत्र ब्रजनंदन शर्मा नि0 म0नं0 आई 38 महेन्द्रा इन्क्लेव शास्त्रीनगर थाना कविनगर ग़ाज़ियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष

बरामदगी का विवरण

1 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 05.03.2024 को थाना कौशाम्बी पर वादी गुलशन पुत्र प्रमोद कुमार की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त कपिल बैसोया पुत्र कमल बैसोया नि0 म0न0 12 ग्राम भोवापुर कौशाम्बी थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र 33 वर्ष व उसके अन्य साथी द्वारा एक राय होकर वादी के भाई अंकित पुत्र प्रमोद को जातिसूचक शब्द कहने, गाली गलौज करने, मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बंध में थाना कौशाम्बी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 11.03.2024 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा वाँछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त कपिल बैसोया पुत्र कमल बैसोया नि0 म0न0 12 ग्राम भोवापुर कौशाम्बी थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र 33 वर्ष को यू0पी0गेट पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर न्यायिक हिरासत हेतु भेजा जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता</u>

कपिल बैसोया पुत्र कमल बैसोया नि0 म0न0 12 ग्राम भोवापुर कौशाम्बी थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र 33 वर्ष।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम